न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौ[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज
	बुधराम बनाम चौथमल 80/19
24.04.23	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी ... गत आदेश की पालना हेतु दिनांक 31.05.23 ... पेश हो [signature]
31.05.23	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी ... गत आदेश की पालना हेतु दिनांक 04.07.23 ... पेश हो [signature]
04/07/23	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। [illegible] के मूल [illegible] हुआ जो आदेश पत्रावली किया गया। रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 व 2 के शपथ पत्र तस्दीक कराने हेतु कोई ... दिनांक 6/07/23 को उपस्थित आवे। [signature] उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा (दौसा)
6/07/23	पत्रावली पेश हुई। रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 व 2 उपस्थित आये एवं शपथ [illegible] शपथ पत्र तस्दीक किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 7/07/23 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा (दौसा)
7/07/23	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अवकाश पर गत आदेश की पालना हेतु दिनांक 10/07/23 पेश हो [signature]
10/07/23	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। वकील अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 17 नियम 1/1 CPC का पेश कर बताया कि [illegible] के साथ पेश करने [illegible] पर [illegible] को [illegible] के साथ पेश करने [illegible] किया जावे। [illegible] पेश किया जाने हेतु [illegible]।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख को जारी हुए।
बालूराम बनाम चौथमल अपील स० 42/19	
प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 व 151 CPC स्वीकार किया जाता है। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी बालूराम पुत्र स्व० कजोड़मल कौम माली निवासी [illegible] वाली ढाणी ग्राम हरिपुरा तहसील रामगढ़ पचवारा तब तहसील लालसोट द्वारा ग्राम हरिपुरा के ना० सं० 45 दिनांक 11/6/94 ग्राम पंचायत कोलीवाड़ा के विरुद्ध अपील पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोंडेंट करवायी गई। रेस्पोंडेंट स० 1 व 2 उपस्थित आये एवं उपस्थित आये होकर स्वयं के शपथ पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली। रेस्पोंडेंट स० 2 द्वारा शपथपत्र में अपीलान्ट का नाम बालूराम को बजाय तेजाराम दर्ज हो गया जबकि स्व. कजोड़मल के दो वारिस बालूराम व शपथग्रहिता है अतः ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण करते समय बालूराम के बजाय तेजाराम दर्ज कर दिया जो गलत है। अतः तेजाराम की बजाय बालूराम शुद्ध किया जावे। रेस्पोंडेंट स० 2 तेजाराम पुत्र स्व. कजोड़मल माली ने उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश किया जो वाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया है। रेस्पोंडेंट सं० 2 तेजाराम द्वारा भी ना० सं० 45 में बालूराम के स्थान पर तेजाराम का नाम दर्ज किया गया है जो गलत है। अतः कजोड़मल की विरासत का नामान्तरण गलत दर्ज किया गया है। तेजाराम के बजाय बालूराम दर्ज किया जावे।	
ऐसी हम सर्व प्रथम अपील का निस्तारण करने से पूर्व दफा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।	

अधिकारी
दौसा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

बालूराम बनाम चौथमल अपील 82/19

हमने अभिभाषकगण का अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा नामान्तरण को दिनांक 25/7/2019 को जारी हुई है एवं अपील दिनांक 13/8/2019 को पेश की गई है। जो अन्दर मियाद होना स्वीकार है। हमने मूल पत्रावली तहसील राइकास से तलब किया जाकर अवलोकन किया अपील विरासत के नामान्तरण के विरुद्ध पेश की गई। ग्राम पंचायत कोलीकाई द्वारा स्वीकार नामान्तरण विधि विरुद्ध है। ग्राम पंचायत को विरासत का नामान्तरण स्वीकृत करने का अधिकार अन्तर्गत धारा 135 में प्रदत्त है। किन्तु जहाँ विरासत विवादास्पद हो वहाँ विरासत का नामान्तरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार सक्षम अधिकारी है।

अतः यहाँ प्रश्नगत नामान्तरण सं० 45 निर्णय दिनांक 11/6/98 विरासत के विवादित होने से [illegible] होने से अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरण सं० 45 दिनांक 11/06/1998 ग्राम पंचायत कोलीकाई निरस्त किया जाकर तहसीलदार राइकास को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे आप पक्षकारान को विधिवत सूचित कर उनके विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुदा होकर नम्बर से खारिज हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की मूल प्रति तहसील राइकास को लौटाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा (दौसा)